

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क्र. नं. 109/11

तारीख रज् 26/12/11

उत्पान - रूपनारायण कौ. व. स. तोताराम कौ. स. 10

दावा - घोषणा खातेदारी व ख्यायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी व ख्यायी निषेध पेश किया है, अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करें। दावा दर्ज रजिस्टर नं. दिनांक 17.1.12 को पेश करें।

4608-21

28-12-11

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज.)

17-1-2012 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी गण की ओर से कोई उपस्थिति नहीं, अतिमाफक सूध द्वारा राज्य स्तरीय हडताल, बहिष्कार होने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 9/2 को पेश हो।

3/12 वादी वकील उपस्थित। वास्तु नशीम की ओर दिनांक 1-3-12 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

11

3/12 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी 1 ता. 11 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 12 से 14 वाकजूद सूचरा उपस्थित नहीं। P.O. साहब बाहर पधारे हैं, वास्तु आरंभ आदेश व जवाब दिनांक 16.3.12 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर रोहात

दिनांक
16.5.17

तेतराम

उपरोक्त नाम के अदालत (दिनांक 26.7.17) में पेश हुई। आदेश दिनांक 19.7.17 को पेश हो।

फर्क आकाश

फिनो रनपना (1) पता
12.7.17

वकुलाय उपस्थित/पीएमअ अधिकारी के रूप में पेश है। अतः पत्रावली गतावसुर दिनांक 26.7.17 को पेश हो।

17.7.17

Not Press

वि
अपकारण

वि
अपकारण

वि
अपकारण

वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मिलान तलबी एवं पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से मुकदमा खारिज करने पेश किया। प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गई। वादीगण एवं वादी वकील ने कथन किया कि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है मुकदमा खारिज चलाना नहीं चाहते हैं मुकदमा खारिज कर दिया जावे। वादीगण एवं वादी वकील के Not Press करने से मुकदमा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुना होकर नम्बर सेकम होकर दाखिल इफ्तार हो।

जिला कलेक्टर रोहात